Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Review Paper

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़नः एक वैधानिक दृष्टिकोण

डॉ. राकेश तिवाड़ी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, सरस्वती पी. जी. महाविद्यालय, कोटखावदा, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: *डॉ. राकेश तिवाड़ी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15570206

सारांश

यौन उत्पीड़न का अभिप्राय पुरूषों की यौनेच्छा पर नियंत्रण नहीं है अपितु यह कुछ पुरूषों की अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने और महिलाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। जो शैक्षिक संस्थाओं, कार्य स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा करने और पुरूष वर्चस्व को प्रदर्शित करने के रूप में देखा जा सकता है। यौन उत्पीड़न अपनी प्रकृति में अवाचित, मौखिक या शारीरिक होता है। यह कार्य के बदले यौन सहयोग, प्रतिशोध की भावना या विद्वेष पूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करना होता है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सहन करने वाली सभी अधिकांश महिलाएं चुपचाप इस शर्म को इसलिए सहन करती है क्योंकि कार्यस्थल पर सत्ता की गत्यात्मकता होती है और उन्हें संगठन में यह विश्वास नहीं रहता कि शिकायत के बाद कार्यवाही होगी तथा यौन उत्पीड़न से जुड़ी लांछन और सामाजिक वर्जना भी होती है और पीड़ित को ही दोषी मानने की सामाजिक प्रवृत्ति तथा महिलाओं की नौकरी पर आर्थिक निर्भरता रहती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय में आमतौर पर बहुत से मिथक है। ऐसे मिथक यथार्थ से बहुत दूर होते है और इससे शिकायत करने वाली महिलाओं के न्याय की मांग को कमजोर कर देते हैं।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 19-04-2025
- ✓ **Accepted:** 15-05-2025
- ✓ **Published:** 30-05-2025
- ✓ **MRR:3(5):**2025;67-69
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite

तिवाड़ी रा. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़नः एक वैधानिक दृष्टिकोण. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(5):67–69.

मूल शब्द: यौन उत्पीड़न, लैगिंक असमानता, कार्यस्थल, कामकाजी महिलाएँ, शिकायतें, विशाखा गाईड लाइंस

परिचय

आज विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नहीं है। सामाजिक ढांचे में पुरूषों को अधिक अधिकार संसाधन और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। प्रकृति ने महिला एवं पुरूष के बीच सेक्स (लिंग) भेद किया हे। लेकन जेण्डर भेदभाव समाज की देन है जिसमें स्त्री को पुरूष की तुलना में दोयम समझा जाता है। जेण्डर भेदभाव के कारण आज विश्व में महिलाओं की अनेक समस्याएँ मौजूद है। सामाजिक नियंत्रण में कमी और खुलेपन के कारण महिलाओं के विरूद्ध यौन अपराधों में वृद्धि हुई है जो अधिकतर उनके अपने घर-परिवार में एवं उनके कार्य स्थलों पर घटित हो रहे है।

आज हम नारी शक्ति, स्त्री कल्याण और महिला सशक्तीकरण की बात करते है लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। 2024 में लैगिंक असमानता इंडेक्स में भारत का 129 वा स्थान है। महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा को दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम घर के अन्दर होने वाली हिंसा तथा दूसरी घर के बाहर हो रही हिंसा कामकाजी महिलाएं दोहरे खतरे का सामना करती है। घर परिवार में घरेलू हिंसा और कार्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न आजकल आम बात है। एक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ होने वाले करीब 70 प्रतिशत यौन उत्पीड़न उनके नजदीकी रिश्तेदारों या परिचितों द्वारा किए गए। तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक तरूण तेजपाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ। यह विडम्बना ही है कि वर्ष 2013 को ''महिला सुरक्षा वर्ष'' के रूप में घोषित किया गया, परन्तु उसी वर्ष महिलाओं की

© 2025 डॉ. राकेश तिवाड़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

असुरक्षा तथा उनका यौन उत्पीड़न बड़ी हस्तियों द्वारा किए जाने की घटना सामने आई। जबकि इन दो उत्पीड़कों में से एक महिला सुरक्षा की वकालत करने के लिए जाने जाते है तो दूसरे स्वयं न्यायाधीश रह चुके है। जिनसे लोग न्याय की उम्मीद करते है। 2017 में मी-टू कैंपेन काफी चर्चा में रहा। इस कैंपेन में महिलाएं अपने साथ कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं को उजागर कर रही थी कि किस तरह के माहौल में उनको काम करना पड़ रहा है। भारत में इसकी शुरूआत तनुश्री दत्ता ने की थी। उन्होंने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये।

कार्य स्थल पर महिलाओं को पूर्ण सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए है। राजस्थान में हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को निर्देश जारी किए जिन्हें विशाखा गाइडलाइन्स (1997) कहा जाता है। विशाखा गाइडलाइन्स को कार्य स्थलों पर महिला यौन शोषण एवं उत्पीड़न रोकने की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर हाल ही में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक प्रावधान किए गए है।

कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 अप्रेल माह में देश में लागू हो चुका है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करना है, ताकि उनका यौन उत्पीड़न एवं यौन शोषण न किया जा सके। कानून में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े व्यापक प्रावधान है। इस नए अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-

- कानून के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में हर तरह का काम करने वाली हर उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ अश्लील बातों उनकी रजामंदी के बगैर उनसे निकटता बढ़ाने के प्रयास तथा उनके साथ अश्लील व्यवहार को यौन उत्पीड़न के दायरे में लाया गया है।
- कानून के तहत दुष्कर्म के कारण पीड़ित महिला की मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है।
- इस कानून के अंतर्गत जहाँ महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार उनके कपड़े फाड़ना तथा उनका पीछा करने जैसी हरकतों को अपराध माना गया है, वहीं अश्लील इशारे करने पर सजा को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है।
- इस कानून के तहत जहां हर जिले के लिए क्षेत्रीय शिकायत समिति के गठन का अनिवार्य प्रावधान है, वहीं नियोक्ता को यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर एक आंतरिक समिति के गठन का दायित्व सौंपा गया है। जिसे सिविल कोर्ट के समकक्ष अधिकार प्राप्त होंगे। समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होगी।
- कानून के तहत अदालतों को सजा को कम किए जाने के उस अधिकार से वंचित किया गया है। जो उन्हें भारतीय दंड संहिता में प्रदान किया गया था।
- वैवाहिक बलात्कार को भी इस कानून के दायरे में लाकर यह व्यवस्था दी गई है कि अलगाव के समय पत्नी से बलात्कार की सजा अधिकतम 7 वर्ष तथा न्यूनतम 2 वर्ष होगी।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को करने के लिए कानून के प्रति जागरूकता को कम करने के लिए कानून के प्रति जागरूकता लाना तथा इसका समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है।
- पुलिस प्रशासन में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी महिला अपराधों को देखने हेतु कई राज्य सरकारों ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का गठन किया है। किन्तु आवश्यकता है अधिकाधिक महिलाओं की पुलिस बल में भर्ती की जाए। जिससे महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों से निपटने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की जा सके।
- अश्लील विज्ञापनों, साहित्य पत्रिकाओं एवं टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली अश्लील फिल्मों तथा महिलाओं की छवि बिगाड़ने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने वाली संस्था का विस्तार और प्रचार जरूरी है। महिलाओं के लिए विशेष कानूनी सहायता सेल स्थापित किए जाएं।
- महिलाओं के प्रति पुरूष सदस्यों के मनोभाव और सोच में बदलाव सर्वोपरि है।
- महिलाओं में जागरूकता लाना भी जरूरी है। उन्हें महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए यह प्रचार पत्र-पत्रिकाओं, संचार माध्यमों तथा सूचना शिक्षा संचार प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है।
- ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की संख्या बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया जाए जो महिलाओं की निजी समस्याओं के बारे में उनके परिवार एवं ससुराल वालों से या पुलिस या अदालातें से या सम्बन्धित व्यक्ति से बात कर सकें।

कोरोना के बाद नामी कंपनियों में बढ़े यौन उत्पीड़न के मामले देश की कामकाजी महिलाओं का घर से ऑफिस पहुंचना तो आसान है, मगर असली चुनौती ऑफिस पहुंचकर शुरू होती है। यहां बॉस और अपने सहकर्मियों के अच्छे-बुरे इरादों को समझते हुए काम करना व सुरक्षित रहना किसी परीक्षा से कम नहीं है। इसके बावजूद 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं यौन शोषण रोकने में सफल हो पाती है।

एंटी सेक्सुअल हरैसमेंट एडवाइजरी कम्प्लाईकारो डॉट काम ने डेटा एनालिसिस में साफ किया है कि कोरोना के बाद 2021 की तुलना में 2022 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की 27 फीसदी शिकायतें ज्यादा दर्ज की गई हैं। इसमें देश की टॉप 100 कंपनियों को शामिल किया गया। इनके पास कुल बाजार पुंजीकरण का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार आइटी, बैकिंग, फाइनेंस और बीमा से जुड़ी कंपनियों में कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाएँ ज्यादा दर्ज की गई। अध्ययन में अधिकतर महिलाओं ने स्वीकार किया है कि कार्यस्थल पर कम से कम एक बार उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यौन शोषण का सामना करना पड़ा है। इनमें भी 51 फीसदी महिलाएँ लोक लाज के चलते शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देशभर में अक्टूबर 2022 तक कार्य स्थल पर यौन शोषण की 70 लाख शिकायतों मिल चुकी है। सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली (11.2 लाख), पंजाब (10.5 लाख) व गुजरात (10.4 लाख) से मिली है। शहरों

© 2025 डॉ. राकेश तिवाड़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

में दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरू, हैदराबाद और पुणे में सबसे ज्यादा यौन शोषण कि शिकायतें दर्ज की गई है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम को लेकर जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता हैः-

- रोजगार न्यायाधिकरणः कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
- स्वयं की प्रक्रिया बनाने की शक्ति शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिये समिति ने प्रस्ताव दिया कि न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने हेतु उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया का चयन करने की शक्ति दी जानी चाहिये।
- अधिनियम के दायरे का विस्तारः घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
- समिति ने कहा कि किसी भी तरह के 'अवांछनीय व्यवहार' को शिकायतकर्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिए। जिससे यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा व्यापक हो सके।

संदर्भ सूची

1. लियोनार्ड ईबी. वूमेन, क्राइम सोसाइटी. न्यूयॉर्क: लौंगमैन; 1982.
2. शर्मा बीआर. क्राइम एंड वूमेन: ए साइको डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी. नई दिल्ली: आई.आई.पी.ए.; 1990.
3. रायजादा अजीत, संपादक. महिला उत्पीड़न: समस्या और समाधान. भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी; 2002.
4. प्रमीला. वर्किंग वूमैन इन इंडिया: दअर प्रॉब्लम. नई दिल्ली: वीकली राउंड टेबल; 1976.
5. नंदा बीआर. इंडियन वूमन. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस; 1976.
6. जैन अरविंद. औरत: अस्तित्व और अस्मिता. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2001.
7. नगला बीके. वूमन, क्राइम एंड लॉ. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स; 1991.
8. भारत सरकार. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013. नई दिल्ली: भारत सरकार का राजपत्र; 2013.
9. कम्लाईकारो डॉट कॉम. इंटरनेट स्रोत; 2022 [उपलब्ध: https://www.kamlaikaro.com].
10. राजस्थान पत्रिका. समाचार लेख. 2022.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 डॉ. राकेश तिवाड़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/